न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 7/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– नरेश उर्फ नैणी उर्फ नारायणदास पुत्र मनोहरलाल जाति अरोड़ा निवासी धनूर थाना केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ।

———— अपीलांट

—— बनाम ——

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

———— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री हितेश छंगाणी — अभिभाषक अपीलान्ट ।
श्री चतुर्भुज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 16.1.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 12.10.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.12.17 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी नरेश उर्फ नैणी उर्फ नारायणदास पुत्र मनोहरलाल जाति अरोड़ा निवासी धनूर थाना केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकशान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द कुल 11 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 7 प्रकरण जुआ अधिनियम के दर्ज हुए हैं, जिनमें से 6 बार न्यायालय से सजायाब हो चुका है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.1.18 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 7.3.18 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 7.3.18 को अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने पर जमानती

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारन्ट जारी किया गया एवं तत्पश्चात दिनांक 12.10.18 को जवाब नोटिस पेश किया गया । अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के पश्चात् न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.10.18 को ही निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जं0 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय हनुमानगढ़ में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 12.10.18 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को जिन मुकदमों में सजायाब होना बताया है, वह 13 आरपीजीओ. के प्रकरण है, जिनमें प्रार्थी अपीलान्ट ने लोक अदालत की भावना से निर्मल करवाया है । उक्त जुआ सट्टा के प्रकरणों में अपीलान्ट के सजायाब होने से समाज के किसी भी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है । 13 आरपीजीओ. के अपराध गम्भीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा काई साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट से किसी व्यक्ति को भय हो व किसी को अपीलान्ट से अपनी सुरक्षा का खतरा हो । अपीलान्ट द्वारा आज तक किसी भी व्यक्ति को तंग व परेशान नहीं किया गया है तथा नं ही किसी व्यक्ति विशेष ने कोई दाण्डिक प्रकरण दर्ज कराया है । प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि अपीलान्ट की आम जनता में ऐसा कोई खौफ नहीं है, जिससे आम जनता उससे भयभीत हो । प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि उसके विरुध्द तीन या तीन से अधिक प्रकरणों में सजा की गई हो । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.18 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 7 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालाय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालाय द्वारा 6 प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 26.11.2017 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्ट चोरी छिपे जुआ सट्टों की खाईवाली करता है, आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट के विरुध्द पूर्व मं भी जुआ सट्टे के मुकदमे दर्ज है, समाज के लोग अपीलान्ट के कृत्य से भयभीत है तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7 हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 29.12.17 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम की धारा 13 एवं आईपीसी. की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निम्नलिखित 11 मुकदमे दर्ज होकर न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	90/18.5.12	323,324,325,341,147, 148,149 IPC	पेंडिंग कोर्ट	–
2	90/2.6.08	341,323,325,451,34IPC	26.7.08	सजा
3	74/26.4.08	13 RPGO	21.4.11	सजा
4	11/14.1.04	13 RPGO	4.8.04	सजा
5	126/14.8.94	13 RPGO	10.2.04	सजा
6	126/14.8.94	323,341,34 IPC	27.9.94	बरी
7	14/22.1.94	323,341,34 IPC	30.4.01	बरी
8	240/6.10.15	13 RPGO	2.12.15	सजा 100/– अर्थदण्ड
9	इस्तगासा	3/4 RPGO	–	–
10	239/27.10.2016	13 RPGO	23.11.16	सजा 100/–अर्थदण्ड
11	145/8.7.17	13 RPGO	9.8.17	सजा

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

9. क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(5) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए तथा 6 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनाक 26.11.17 के अनुसार अपीलान्ट चोरी छिपे जुआ सट्टों की खाईवाली करता है, आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरुध्द पूर्व मं भी जुआ सट्टे के मुकदमे दर्ज है, समाज के लोग अपीलान्ट के कृत्य से भयभीत है तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट के विरुध्द आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत भी मुकदमे दर्ज हुए हैं तथा एक मुकदमे में सजायाब हुआ है ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा आम दिनांक 26.11.17 के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है । अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट के विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानगढ में थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जं0 को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.18 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर